

C/110 119/2021

आनील कुमार बनाम राजेन्द्र सिंह

13/12/2021

वकील वादी द्वारा सा.पत्र. वाले पत्रावली  
रीगे से आज लम्ब फरमाये जाने के  
कारण पत्रावली आज नियत तिथि से  
पूर्व पेश हुई। वकील वादी द्वारा एक  
सा. पत्र वादीगण का वाद नोटब्रेस में खारिज  
फरमाये जाने ~~के~~ वाकल पेश कर निवेदन  
किया कि उपरोक्त त्करण को वादीगण  
आगे ~~के~~ पत्ताना नहीं चाहते हैं। त्करण  
अभी प्राथमिक स्टेज पर ही अत. वादीगण  
का वाद नोटब्रेस में खारिज किया जाये।

अतः वादीगण का सा.पत्र.  
नोटब्रेस में खारिज फरमाये जाने वाकल  
रखीकार किया जाकर वादीगण का वाद  
~~वकील~~ खारिज किया जाकर पत्रावली  
फैसल कुमार होकर नम्बर से कम  
हो।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

